WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालयः— ग्राम न्यायालय, सांचौर जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी — हिम्मत राज (आरजेएस)

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या — 09/2025

सी.आई.एस. नम्बर — 513/2025

01. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जिला—जालोर।

.....अभियोगी

बनाम

01. सज्जन सिंह पुत्र जोगसिंह उम्र 56 साल निवासी साकदड़ा, पीएस गुड़ा एदला जिला पाली।

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 281, 125बी, भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित :—

01 सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य/प्रार्थी की ओर से।

02. श्री लाधुसिंह कीलवा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 17.08.2026**

01. पुलिस थाना सांचौर द्वारा अभियुक्त सज्जनसिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 281 व 125बी बीएनएस के जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी को पेश किया गया। उक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने के पश्चात् इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थी गणेशाराम पुत्र मसराजी, निवासी नेनोल ने उपस्थित थाना सांचौर होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 01.05.2025 को दोपहर में करीबन 12.15 पर उसकी भतीजी जीगनाबेन पुत्री शम्भूराम उम्र 10 वर्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानेडी नाडी स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी तथा नैनोल में वसनाराम देवासी के खेत के पास स्थित डामर सड़क पर पहुंची तब धीराराम पुत्र आम्बाराम देवासी निवासी नेनोल का ट्रेक्टर चालक पीछे से तेजगति व लापरवाही से बिना नम्बरी ट्रेक्टर को चलाता हुआ आया तथा उसकी भतीजी जीगनाबेन को चपेट में लेकर टक्कर मार कर उसका डावा पैर कुचलकर गंभीर चोट पहुंचाई.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांचौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2025 में अंतर्गत धारा 281, 125बी भारतीय न्याय संहिता में दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त विक्रमसिंह के विरूद्ध धारा 281, 125बी भारतीय न्याय संहिता में आरोप—पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जो दर्ज

WEB COPY NOT OFFICIAL

रजिस्टर किया गया। उक्त धाराओं में वर्णित अपराध का उक्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

03. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त सज्जनसिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 281, 125बी भारतीय न्याय संहिता का अपराध बनना पाये जाने पर उक्त अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं का आरोप पृथक् से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 गणेशाराम, पी.डब्ल्यू. 02 शम्भुराम, पी.डब्ल्यू. 03 सांवलाराम, पी.डब्ल्यू. 05 कैलाश, पी.डब्ल्यू. 06 धीराराम, पी. डब्ल्यू. 07 जीगनाबैन, पीडब्ल्यू 08 भंवराराम को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02, पुलिस बयान गणेशाराम प्रदर्श पी 03, पुलिस बयान शंभुराम प्रदर्श पी 04, मजरूबा का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05, पुलिस बयान कैलाश कुमार प्रदर्श पी 06, नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 07, पुलिस बयान जिगनाबेन प्रदर्श पी 08 दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया।

05. अभियुक्त सज्जनसिंह की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्त के विरुद्ध आयी साक्ष्य का स्पष्टीकरण उक्त अभियुक्त से लिया गया तो उक्त अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई।

06. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान् ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि अभियुक्त सज्जनसिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वाहन चलाने में सज्जनसिंह की कोई उपेक्षा एवं लापरवाही का कृत्य गवाह बयानात् से साबित नहीं है। गवाह बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक सम्पुष्टि का अभाव है। शेष गवाहान् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य अदा करते हैं, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाए।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर शेष रहे आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है कि :–

1– "कि आपने दिनांक 01.05.2025 को दोपहर करीबन 12.15 पर सरहद नेनोल में वसनाराम देवासी के घर के पास वाहन बिना नम्बरी ट्रेक्टर को

WEB COPY NOT OFFICIAL

उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानवजीवन संकटापित किया। एतद्द्वारा आपका उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत दण्डनीय अपराध है,जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है। ?"

2– " कि आपने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बिना नंबरी ट्रेक्टर को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर परिवादी गणेशाराम की भतीजी जीगनाबेन के पैदल–पैदल स्कूल से घर आ रही के पीछे आकर टक्कर मारी, जिससे आहता/मजरूबा जीगनाबेन के दांए पैर पर गंभीर उपहति कारित हुई। एतद्द्वारा आपका उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(बी) के तहत दण्डनीय अपराध है, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है?"

3– यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

::विवेचन::

09. पत्रावली पर आए समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन प्रकरण तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 पर संस्थित है, जिसके रिपोर्टकर्ता पीडब्ल्यू 01 गणेशाराम पुत्र मसराराम है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 08 गवाह परीक्षित करवाए गए हैं।

10. प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता गणेशाराम पुत्र मसराराम पी.डब्ल्यू. 01 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 7–8 माह पहले की बात है। उसकी भतीजी जीगनाबैन खानेड़ी नाड़ी स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी एक कार चालक ने उसकी दुर्घटनाकारित कर दी। कार के नम्बर क्या थे व उसका चालक कौन था उसे पता नहीं। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वह सज्जनसिंह को नहीं जानता है। रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं है उसमें क्या लिखा–पढ़ी हुई उसे जानकारी नहीं। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उनके राजीनामा हो गया है, दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे जानकारी नहीं।

11. आहता/मजरूबा पीडब्ल्यू 07 जीगनाबैन अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब एक वर्ष पहले की बात है। वह स्कूल से घर आ रही थी। तभी एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसके पांव फ्रैक्चर हो गया। गाड़ी के नम्बर क्या थे कौन चला रहा था उसे पता नहीं। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह इस कथन को सही होना

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्वीकार करता है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे या नहीं उसे पता नहीं। वह वाहन चालक को नहीं पहचानती है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि किस वाहन से दुर्घटना हुई थी कौन चला रहा था तथा उसके नम्बर क्या थे उसके जानकारी नहीं। दुर्घटना के समय वह बेहोश हो गई थी।

12. गवाह शम्भुराम पी.डब्ल्यू. 02 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 7–8 माह पहले की बात है। उसकी बेटी जीगनाबेन खानेड़ी नाडी स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी एक कार चालक ने उसकी दुर्घटनाकारित कर दी। कार के नम्बर क्या थे व उसका चालक कौन था उसे पता नहीं। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वह सज्जनसिंह को नहीं जानता है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उनका राजीनामा हो गया है। दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे जानकारी नहीं।

13. गवाह पीडब्ल्यू 03 सांवलाराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब एक माह पूर्व की बात है। जमनाबेन की दुघ र्टना हुई इस संबंध में पुलिस मौके पर आई थी, घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि फर्द नक्शा मौका पुलिस वालों ने क्या लिखा–पढ़ी की उसे पढ़कर नहीं सुनाई थी, उसके केवल हस्ताक्षर करवाए थे।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 05 कैलाश अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से एक साल पूर्व की बात है। उसकी भतीजी जीगना स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी तभी एक कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटनाकारित कर दी जिससे उसका पांव फ्रेक्चर हो गया। कार के नम्बर व उसके चालक कौन था उसका पता नहीं। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उनका राजीनामा हो गया है। स्वीफ्ट कार चालक कौन था उसका नम्बर क्या था उसे जानकारी नहीं है। वह सज्जनसिंह को नहीं जानता।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 06 धीराराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब एक वर्ष पूर्व की बात है। पुलिस ने उसके खाली

WEB COPY NOT OFFICIAL

कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे उसमें क्या लिखा–पढ़ी की उसे जानकारी नहीं है। वक्त दुर्घटना उसका ट्रेक्टर मुकेश कुमार चला रहा था। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे जानकारी नहीं है। ट्रेक्टर से दुर्घटना नहीं हुई थी। स्विफ्ट कार किसकी थी कौन चला था उसे इसकी जानकारी नहीं है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू. 08 भंवराराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब एक वर्ष पहले की बात है। पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसमें क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिस ने कोई मौका नहीं देखा। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वह सज्जनसिंह को नहीं जानता है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू. 04 डॉ चन्द्रेश कुमार अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है दिनांक 15.05.2025 को वह जिला अस्पताल सांचौर में एमओ के पद पर कार्यरत था, उस रोज पुलिस थाना सांचौर की तहरीर पर मजरूबा जिगनाबैन पुत्री शम्भुराम जाति मेघवाल निवासी नेनोल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोटों का विवरण निम्न प्रकार हैः– 01. दाईने पैर पर प्लास्टर ऑफ पैरिस किया हुआ। दांए पैर की घुटने पर रगड़ का निशान 03 गुणा 03 सेमी। बांए हाथ की कोहनी पर रगड़ का निशान 02 सेमी गुणा 2 एमएम। उपरोक्त सभी चोटें भोटे हथियार से कारित थी। चोट संख्या 02 व 03 साधारण प्रकृति की थी चोट संख्या 01 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे राय दी गई थी। एक्सरे राय प्लेट का अवलोकन करने से एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 06 का अवलोकन करने पर चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की थी। चोटों की अवधि परीक्षण समय 12 से 18 दिन के भीतर–भीतर की थी। चोट संख्या प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी मजरूबा जिगनाबैन का हस्ताक्षर है, ई से एफ भाग पर उसकी एक्सरे राय अंकित है। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी 05 चोट संख्या 01 उसने प्लास्टर को खोलकर नहीं देखा। एक्सरे पर लिखी हुई इबारत उसकी लेखनी नहीं है। अजखुद कहा कि इबारत के अंत में उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे सरकारी अस्पताल सांचौर का है। घटना के 15 दिन बाद चोट प्रतिवेदन तैयार किया था। घटना के 15 दिन बाद चोट संख्या प्रतिवेदन तैयार किया था देरीना चोट प्रतिवेदन होने से अन्य चोट भी लग सकती है। दूसरी बार गिरने से भी चोट आ सकती है। स्कूल से निकलते वक्त जल्दी भागते वक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL

सड़क पर गिरने से ऐसी चोट आना संभव है।

17. निष्कृषतः पत्रावली पर आई समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता गणेशाराम पी.डब्ल्यू 01 प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद नहीं करता है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रेक्टर से दुर्घटनाकारित होना बताया है, बल्कि अपने न्यायालय बयानों में कार से दुर्घटनाकारित होने का उल्लेख करता है। गवाह के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह कथन करता है कि वह अभियुक्त सज्जन सिंह को नहीं जानता है। आहता/मजरूबा पीडब्ल्यू 07 जीगनाबैन अपने न्यायालय बयानों में इस आशय का कथन करती है कि बयान देने की तारीख से एक वर्ष पहले की बात है वह स्कूल से घर आ रही थी, तभी एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसका पांव फ्रैक्चर हो गया। गाड़ी के नम्बर क्या थे कौन चला रहा था उसे पता नहीं है। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह कथन करता है कि वह वाहन चालक को नहीं पहचानती है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करती है कि किस वाहन से दुर्घटना हुई थी, कौन चला रहा था तथा उसके नम्बर क्या थे उसे जानकारी नहीं है। अन्य गवाह शम्भुराम पीडब्ल्यू 02 अपने न्यायालय परीक्षण में कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 7–8 माह पहले की बात है। उसकी बेटी जीगना बेन खानेड़ी नाड़ी स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी एक कार चालक ने उसकी दुर्घटनाकारित कर दी। कार के नम्बर क्या थे व उसका चालक कौन था उसे पता नहीं व उसने दुघ र्टना होते हुए नहीं देखी थी। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वह सज्जनसिंह को नहीं जानता है। उक्त गवाह ने अपने न्यायालय परीक्षण में कहीं भी चालक की पहचान से संबंधित कथनों की ताईद नहीं करता है। घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता गणेशाराम एवं आहता/मजरूबा जीगनाबैन के बयान अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुए अन्य गवाहान् कैलाश, धीराराम, भंवराराम जो मुख्यतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार नहीं किया है कि दुर्घटना अभियुक्त सज्जनसिंह द्वारा कारित की हो तथा गवाहों ने दुर्घटनाकारित वाहन के नंबर तथा चालक की पहचान से इन्कार किया है। उक्त सभी गवाहान् के बयानों में विरोधाभास है

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिससे की अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है जिससे अभियोजन कहानी की जड़ ही कमजोर हो जाती है व इसकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। चिकित्सकीय साक्षी डॉ चन्द्रेश कुमार पीडब्ल्यू 04 कथन करता है कि घटना के 15 दिन बाद चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया था। स्कूल से निकलते वक्त जल्दी भागते वक्त सड़क पर गिरने से ऐसी चोट आना संभव है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहों के बयानों का अवलोकन करे तो किसी भी गवाह ने अपने बयानों में यह नहीं बताया कि वरवक्त दुर्घटना कारित वाहन को सज्जनसिंह ही चला रहा हो। प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता गणेशाराम, मजरूबा/आहता जीगनाबैन के बयानों में विरोधाभास व साक्ष्य संपुष्टि का अभाव है। इस मामले में सबसे बड़ा अनिवार्य बिन्दु यही होता है कि क्या घटना के समय आरोपी ही प्रश्नगत वाहन का चालक था, लेकिन यह तथ्य किसी भी साक्षी की साक्ष्य से साबित नहीं किया कि वरवक्त दुघ र्टना आरोपी सज्जनसिंह ही दुर्घटनाकारित वाहन चला रहा था। चूंकि वक्त घटना मुलजिम की उपस्थिति एवं उसके द्वारा वाहन चलाने का तथ्य ही अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में मुलजिम द्वारा वक्त घटना वाहन को उतावलेपन व लापरवाही से चलाने के संदर्भ में विवेचन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष मुलजिम सज्ज्नसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त सज्जनसिंह को धारा 281, 125(बी) भारतीय न्याय संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

18. परिणामतः अभियुक्त सज्जन सिंह पुत्र जोगसिंह उम्र 56 साल निवासी साकदड़ा, पीएस गुड़ा एदला जिला पाली। को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 281, 125(बी) भारतीय न्याय संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन स्विफ्ट कार पंजीयन नंबर जीजे 27 के 4423 को वाहन मालिक रणजीतसिंह को पूर्व में सुपूर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिया जा चुका है, जो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन निरस्त समझे जावे। अभियुक्त को धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 10,000/—रूपये के जमानत व मुचलके प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, जो कि 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला जालोर।

20. निर्णय आज दिनांक 17.08.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

21. निर्णय की एक एक प्रति दोनों पक्षकारान् को निःशुल्क दी गई।

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला जालोर।